

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5665**  
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

**आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना**

**5665. श्री कुलदीप इंदौरा:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूध उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को निर्देश देने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) देश के विभिन्न भागों में आंगनवाड़ी केंद्रों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मिशन पोषण 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दूध/केला/मौसमी फल आदि के रूप में सुबह का नाश्ता और पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराएंगे। इन दिशानिर्देशों में सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां), फोर्टिफाइड चावल और मिलेट्स अवश्य शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, सामुदायिक जुड़ाव, संपर्क, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए नई कार्यनीतियां बनाई गई हैं। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थता पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि दुबलापन, ठिगनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के अंतर्गत, प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रसार है जिससे लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा सके क्योंकि अच्छे पोषण की आदत को अपनाने के लिए व्यवहार में बदलाव हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितम्बर और मार्च-अप्रैल महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। सामुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण संबंधी पद्धतियों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक माह सामुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर सिस्टम के जरिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्य धारकों की भूमिका और

जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं और आंकड़ा प्रबंधन एवं निगरानी को एकीकृत करने जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाने के लिए दिनांक 13.01.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को लाभार्थियों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक माह प्रगति की समीक्षा करने के लिए डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला पोषण समिति गठित की गई है जिसमें सदस्यों के रूप में प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के संदर्भ में पूरक पोषण, घर ले जाने के लिए राशन (टीएचआर) और पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के स्वामित्व वाली/ पंजीकृत/ पैनल में शामिल /एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से समय-समय पर नमूना जांच करते हैं। पके हुए गर्म भोजन के बारे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे पर्याप्त साफ-सफाई एवं सुरक्षित पेयजल वाले उचित किचन शेडों में तैयार किया जाए ताकि स्वास्थ्यकर स्थितियां बरकरार रहें। खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टोव का उपयोग किया जाता है।

\*\*\*\*\*